



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012024-251607
CG-DL-E-29012024-251607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945

No. 58]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 64(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप	आकृति - 6	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष						
		[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए]	2	0	2	4	-	2	5
		[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)							

व्यक्तिगत सूचना

भाग क-साधारण		साधारण						
	(क1) नाम	(क2) स्थायी लेखा सं० 						
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें							(क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०	(क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)				(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
			/ /				/ /	
	(क10) सड़क /मार्ग/डाक घर	(क11) क्षेत्र/अवस्थान	(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) ☒					
			(i) देशी कंपनी					☐
			(ii) विदेशी कंपनी					☐
	(क12) कस्बा/शहर/जिला	(क13) राज्य	(क14) पिन कोड / जिप कोड				यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)	☐
	देश							
(क15) कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं०-1 			(क16) मोबाइल नं०-2 				(क17) ई मेल पता-1	
(क18) ई मेल पता-2								
(क19) (का)	आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख(ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) 1. 31 अक्तूबर 2. 30 नवंबर							

फाइल करने की प्राप्ति

(क19) (कii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरण, ☐ 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात् ☐ 170क – प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात्											
	2. या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153ग											
(ख)	यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)												
(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) या धारा 170क में संदर्भित आदेश के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।												
(घ)	आवासीय प्राप्ति (निशान लगाएं) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी												
(ड.)	क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के अधीन कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाईलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्ररूप (10-झ ख / 10- झ ग / 10- झ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां नहीं कृपया प्ररूप 10-झ ख / प्ररूप 10- झ ग / 10- झ घ दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या दें												
(च)	क्या पिछले वर्ष 2021-2022 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ/ नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)												
(छ)	क्या निर्धारिती देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?												
(ज)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन (पी.ई.) है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं												
(झ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या												
(ञ)	क्या निर्धारिती से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें .												
	अधिनियम जिनके तहत पंजीकरण की आवश्यकता है												
	पंजीकरण की तारीख	(दिन/मास/ वर्ष)	पंजीकरण सं0										

(ट)	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं
(ठ)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं
(ड)	क्या निर्धारिती कंपनी समापन के अधीन है (सही का निशान) ☒ हां ☐ नहीं

(ढ)	क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं	
(ण)	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है? ☐ हां ☐ नहीं	
(त)	क्या निर्धारिती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -	
(1)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख करें)	
(3)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का पता	
(4)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या	
(थ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं ☐ हां ☐ नहीं	
1	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें	
2	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है ☐ हां ☐ नहीं	
3	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें	
4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ? ☐ हां ☐ नहीं	
5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	

(द)	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता(एल ई आई) ब्यौरे अनिवार्य है (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक हो)		
	एल ई आई संख्या		तक विधिमान्य
(ध)	क्या आप सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? ☐ हां ☐ नहीं		
	यदि हां, कृपया एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या दें।		
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
(क2)	क्या निर्धारिती धारा 44कड/44ख/44खख/44खख/44घ के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं ☒ हां ☐ नहीं		

(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं ☐ नहीं, टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं ☐ नहीं, टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक																		
(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं																		
(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं																		
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)																		
	यदि (ख) का हां चयन किया गया है तो निम्नलिखित किस शर्त के अनुसार:																		
(खा)	विक्रम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, धारा 44कख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं। (निशान लगाएं) ☒																		
(खाii)	निर्धारित धारा 44खख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) ☒																		
(खाiii)	निर्धारित धारा 44खखख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) ☒																		
(खाiv)	अन्य (निशान लगाएं) ☒																		
(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं																		
	<table border="1"> <tr> <td>(1)</td> <td>लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/ वर्ष)</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>लेखा परीक्षक का IM (संपत्तिक/ फर्म)</td> </tr> <tr> <td>(5)</td> <td>स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०</td> </tr> <tr> <td>(6)</td> <td>लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.</td> </tr> <tr> <td>(7)</td> <td>लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख</td> </tr> <tr> <td>(8)</td> <td>लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या</td> </tr> <tr> <td>(9)</td> <td>यू डी आई एन</td> </tr> </table>	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/ वर्ष)	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या	(4)	लेखा परीक्षक का IM (संपत्तिक/ फर्म)	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख	(8)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या	(9)	यू डी आई एन
(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/ वर्ष)																		
(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम																		
(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या																		
(4)	लेखा परीक्षक का IM (संपत्तिक/ फर्म)																		
(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०																		
(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.																		
(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख																		
(8)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या																		
(9)	यू डी आई एन																		
(घ)	क्या आप धारा 92क के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? ☐ हां ☐ नहीं																		

(घाii)	यदि (घझ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	☐ हां ☐ नहीं	लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती संख्या
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें [कृपया अनुदेश 5 देखें]			
	क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पावती संख्या
ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?			
	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)
(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्री कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनुंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें			
(ख)	यदि समनुंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें			
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत
(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनुंगी कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समनुंगी कंपनी का नाम	समनुंगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत
(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख
(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख
(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें			
	पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख

(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें					
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख		
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं					
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.	निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं)
शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां , जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे ।					
	क्रम सं.	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)		
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे ।					
	क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।						
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या	

विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
कंपनी का स्वरूप					(निशान लगाएं) ☒
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं	
2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं	
3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			☐ हां ☐ नहीं	
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं	
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं			☐ हां ☐ नहीं	
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)			☐ हां ☐ नहीं	
7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं	
8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें			☐ हां ☐ नहीं	
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)					
क्र.सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]	वर्णन			
(i)					
(ii)					
(iii)					

कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार

भाग क-तुलन पत्र

31 मार्च, 2024 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I	साधारण पूंजी और दायित्व		
	1	शेयर धारक की निधि		
		क शेयर पूंजी		
		i	प्राधिकृत	का
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	काii
		iii	अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	काiii
		iv	कुल(काii + काiii)	काiv
		ख आरक्षिति और अधिशेष		
		i	पूंजी आरक्षिति	खा
		ii	पूंजी मोचन आरक्षिति	खाii
		iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति	खाiii
		iv	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खाiv
		v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खv
		vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi
		vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
		क		viiक
		ख		viiख
		ग	कुल (viiक+viiख)	खvii
		viii	अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशेष (नामं पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii
		ix	कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामं पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खाix
		ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम	1 ग
		घ	शेयर धारक की कुल निधि (काiv + खाix+1 ग)	1घ
	2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है		

	i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i				
	ii	एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii				
	iii	कुल (i+ii)		2			
3	स्थगित दायित्व						
क	दीर्घकालिक उधार						
		i	बंधपत्र/डिबेंचर				
		क	विदेशी मुद्रा	i क			
		ख	रुपया	i ख			
		ग	कुल (i क +ii ख)	i ग			
	ii	आवधिक ऋण					
		क	विदेशी मुद्रा	ii क			
		ख	ऋण रूप में				
		1	बैंकों से	ख1			
			2	अन्य से		ख2	
			3	कुल (ख1+ख2)		ख3	
		ग	कुल आवधिक ऋण (ii क+ख3)	ii ग			
	iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व			iii		
	iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)			iv		
	v	अन्य निक्षेप			v		
	vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)			vi		
	vii	अन्य ऋण और अग्रिम			vii		
	viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता			viii		
	ix	कुल दीर्घकालिक (i ग+ii ग+iii+iv+v+vi+vii+viii)			3क		
	ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख		
	ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व					
			i	व्यापार संदेय	i		
			ii	अन्य	ii		
			iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)	3ग		

	घ	दीर्घकालिक विनिधान					
		i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i			
		ii	अन्य	ii			
		iii	कुल (i+ii)				3घ
	ड	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3ड		
4	चालू दायित्व						
	क	अल्पकालिक उधार					
		i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण				
			क बैंकों से	i क			
			ख गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख			
			ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग			
			घ अन्य से	i घ			
	ड	कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ)		iड			
	ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		ii			
	iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		iii			
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv			
v	अन्य निक्षेप		v				
vi	कुल अल्पकालिक उधार (iड+ii+iii+iv+v)		4क				
ख	व्यवसाय संदेय						
		i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i			
		ii	अन्य	ii			
		iii	कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)		4ख		
	ग	अन्य चालू दायित्व					
			i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i		
ii			वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii			
iii			उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है	iii			
iv			उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	iv			
v			अग्रिम में प्राप्त आय	v			

	vi	असंदत्त लाभांश		vi					
	vii	प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत व्याज के देय		vii					
	viii	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत व्याज		viii					
	ix	असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत व्याज		ix					
	x	अन्य संदेय		x					
	xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ख					
	घ	अल्पकालिक उपबंध							
i	कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध		i						
ii	आय-कर के लिए उपबंध		ii						
iii	प्रस्तावित लाभांश		iii						
iv	लाभांश पर कर		iv						
v	अन्य		v						
vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)				4घ				
ङ	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)					4ङ			
कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ)						I			
II	आस्तियां								
आस्तियां	1	गैर-चालू आस्तियां							
	क	स्थिर आस्तियां							
		i	मूर्त आस्तियां						
			क	सकल ब्लाक		iक			
				ख	अवक्षयण			iख	
				ग	ह्रास से हुई हानियां			iग	
				घ	शुद्ध ब्लाक (iक- iख - iग)			iघ	
		ii	अमूर्त आस्तियां						
			क	सकल ब्लाक		iiक			
				ख	क्रमिक अपाकरण			iiख	
				ग	ह्रास से हुई हानियां			iiग	

			घ शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग)	iiघ		
		iii	पूँजीगत चालू काम	iii		
		iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	iv		
		v	कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)		क v	
	ख	गैर-चालू विनिधान				
		i	संपत्ति में विनिधान	i		
		ii	शेयर लिखतों में विनिधान			
		क	सूचीबद्ध शेयर	iiक		
		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख		
		ग	योग (ii क + ii ख)	iiग		
		iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii		
		iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv		
		v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v		
		vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi		
		vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii		
		viii	अन्य विनिधान	viii		
		ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)		खix	
	ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)				ग
	घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम				
		i	पूँजी अग्रिम	i		
		ii	प्रतिभूति निक्षेप	ii		
		iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii		
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv		
		v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)		घ v	
		vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो			
		क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	viक		
		ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	viख		
		ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	viग		

		ड अन्य गैर-चालू आस्तियां					
			i दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य				
			क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i क		
				ख गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i ख		
				ग शंकास्पद	i ग		
				घ कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i क + i ख + i ग)	i घ		
		ii अन्य	ii				
		iii योग (i घ + ii)	डii				
			iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv		
				च कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + डii)	1 च		
2	चालू आस्तियां						
		क चालू विनिधान					
		i शेयर लिखतों में विनिधान					
			क	सूचीबद्ध शेयर		i क	
				ख गैर-सूचीबद्ध शेयर		i ख	
				ग योग (i क + i ख)		i ग	
		ii अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii				
		iii सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii				
		iv डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv				
		v पारस्परिक निधियों में विनिधान	v				
		vi भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi				
vii अन्य विनिधान	vii						
viii कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)	कviii						
		ख संपत्ति-सूची					
		i कच्चा माल	i				
			ii चालू काम	ii			
			iii तैयार माल	iii			
			iv व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv			

		v	भंडार और स्पेयर	v				
		vi	खुले औजार	vi				
		vii	अन्य	vii				
		viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				ख viii	
	ग	व्यापार प्राप्य						
		i	6 मास से अधिक से बकाया	i				
		ii	अन्य	ii				
		iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)				गा iii	
	घ	नकदी और नकद समतुल्य						
		i	बैंक नकद	i				
		ii	चेक, ड्राफ्ट	ii				
		iii	नकद अतिशे-1	iii				
		iv	अन्य	iv				
		v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)				घv	
	ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम						
		i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)		i			
		ii	अन्य		ii			
		iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)				झii	
		iv	झii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो					
			क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क			
	ख		कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	ivख				
	ग		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग				
	च	अन्य चालू आस्तियां				च		
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गाiii + घv + झii + च)				2छ		
	कुल आस्तियां (1च+2छ)						II	

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय
लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2024 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I साधारण शेयर और दायित्व			
1	साधारण शेयर		
	अ साधारण शेयर पूंजी		
	i प्राधिकृत	का	
	ii जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii	
	iii अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii	
	iv कुल (का + काii + काiii)	क+iv	
	आ अन्य साधारण शेयर		
	i अन्य रिजर्व		
	क पूंजी विमोचन आरक्षित	i क	
	ख डिबेंचर विमोचन रिजर्व	i ख	
	ग शेयर विकल्प बकाया लेखा	i ग	
	घ अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	i घ	
	ड. कुल अन्य भंडार (i क + i ख + i ग + i घ)	i ड.	
	ii प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii	
	iii कुल (खाड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)	खाiii	
	इ कुल साधारण शेयर (क+iv + खाiii)	1 ग	
2	दायित्व		
	अ गैर मौजूदा दायित्व		
	I वित्तीय दायित्व		
	उधारी		
	क बांड या डिबेंचर		
	1 विदेशी मुद्रा	क 1	
	2 रुपए	क 2	
	3 कुल (1 + 2)	क 3	
	ख उधार अवधि		
	1 विदेशी मुद्रा	ख 1	

	2	रुपया उधार						
		i	बैंकों से	i				
		ii	अन्य पार्टियों से	ii				
		iii	कुल (i + ii)	ख 2				
	3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)				ख 3		
	ग	आस्थगित संदाय दायित्व				ग		
	घ	निक्षेप				घ		
	ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)				ड.		
	च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता				च		
	छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक				छ		
	ज	अन्य उधार				ज		
	झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				झ		
ञ	व्यापार उधार				ञ			
ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त)				ट			
II उपबंध								
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध		क				
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		ख				
	ग	कुल उपबंध					II ग	
III आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)						III		
IV अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व								
	क	अग्रिम		क				
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		ख				
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व					IV ग	
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (I झ + I ञ + I ट + II ग + III + IV ग)						2 क		
ख	वर्तमान दायित्व							
I वित्तीय दायित्व								
	i	उधार लेना						
	क	मांग पर लौटाने वाले उधार						
		1	बैंकों से		1			
		2	अन्य पक्षकारों से		2			

		3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3				
		ख	संबंधित पक्षकारों से उधार	ख				
		ग	निक्षेप	ग				
		घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ				
	कुल उधार (क 3 + ख + ग + घ)					ii		
	ii	व्यापार देनदारियां					iii	
	iii	अन्य वित्तीय दायित्व						
		क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क				
		ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख				
		ग	प्रोद्भूत व्याज	ग				
घ		अवैतनिक लाभांश	घ					
ड.		प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर प्रोद्भूत व्याज	ड.					
च		असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत व्याज	च					
छ		उस पर प्रोद्भूत असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और व्याज	छ					
ज		अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज					
झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)					iiii		
iv	कुल वित्तीय दायित्व (ii + iii + iiii)					liv		
II	अन्य चालू दायित्व							
	क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क					
	ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
	ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग					
	घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)			IIघ			
III	उपबंध							
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क					
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
	ग	कुल उपबंध (क + ख)			IIIग			
IV	वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)					IV		
कुल मौजूदा दायित्व (liv + IIघ + IIIग + IV)						2ख		
कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)						I		

आस्तियां	आस्तियां						
	1 गैर तात्कालिक आस्तियां						
	क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर						
		क	सकल ब्लॉक	क		क घ	
		ख	मूल्यहास	ख			
		ग	हास हानि	ग			
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)				
	ख पूंजीगत कार्य-प्रगति				ख		
	ग निवेश सम्पत्ति						
		क	सकल ब्लॉक	क		ग घ	
		ख	मूल्यहास	ख			
		ग	हास हानि	ग			
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)				
	घ साख						
		क	सकल ब्लॉक	क		घ ग	
		ख	हास हानि	ख			
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क- ख)				
	ड. अन्य अमूर्त संपत्ति						
		क	सकल ब्लॉक	क		ड.घ	
		ख	उधारमुक्ति	ख			
		ग	हास हानि	ग			
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)				
	च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति				च		
	छ वाहक संयंत्रों के अतिरिक्त जैविक आस्तियां						
		क	सकल ब्लॉक	क		छग	
		ख	हास हानि	ख			
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क- ख)				
	ज वित्तीय आस्तियां						
		I निवेश					
		i साधारण साम्या लिखत में निवेश					
			क	सूचीबद्ध साधारण शेयर	i क		i ग
			ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
			ग	कुल (i क + i ख)			
		ii	वरीयता शेयरों में निवेश			ii	
		iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश			iii	

			iv	डिवेंचर या बांड में निवेश	iv						
			v	म्युचुअल फंड में निवेश	v						
			vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi						
			vii	अन्य निवेश(प्रकृति निर्दिष्ट करें)	vii						
			viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)					जा		
			II स्वीकार योग्य व्यापार								
			क	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	क						
			ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख						
			ग	संदिग्ध	ग						
			घ	कुल प्राप्य व्यापार					जाII		
			III उधार								
			i	सुरक्षा निक्षेप	i						
			ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii						
			iii	अन्य उधार	iii						
			iv	अन्य उधार (i + ii + iii)					जाIII		
			v	उक्त III में शामिल उधार, जो कि-							
			क	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजनके लिए	vक						
			ख	कारबार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख						
			ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ड) के अनुसार, ऐसे शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग						
			IV अन्य वित्तीय आस्तियां								
				i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i					
				ii	अन्य	ii					
				iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)						ज IV
			झ आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)							I	
			ञ अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति								
			i	पूँजीगत अग्रिम				i			
			ii	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम				ii			
			iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)				iii			

		iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)			ज	
		v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां उक्त झ सहित है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या	v			
			इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान से या की ओर से / लाभ				
कुल गैर - मौजूदा आस्तियां(कघ + ख +गघ + घग + ड.घ +च +छग + जा + जाII + जाIII + जाIV + झ + ज)						1	
2	वर्तमान आस्ति						
		क तालिकाएं					
		i	कच्चा माल	i			
		ii	कार्य प्रगति पर है	ii			
		iii	तैयार माल	iii			
		iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv			
		v	स्टोर और पुर्जों	v			
		vi	ढीला उपकरण	vi			
		vii	अन्य	vii			
		viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				2क
	ख	वित्तीय आस्तियां					
		I निवेश					
		i	साधारण शेयर लिखत में निवेश				
		क	सूचीबद्ध साधारण शेयर	i क			
			ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
	ग		कुल (i क + i ख)	iग			
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश				ii	
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश				iii	
	iv	डिवेंचर या बॉन्ड में निवेश				iv	
	v	म्युचुअल फंड में निवेश				v	
	vi	भागीदारी फर्मों में निवेश				vi	
	vii	अन्य निवेश				vii	
	viii	कुल वर्तमान निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)				I	
	II	स्वीकार योग्य व्यापार					
	i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i				

		ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii			
		iii	संदिग्ध	iii			
		iv	प्राप्य कुल व्यापार (i + ii + iii)				II
	III	नकद और नकद समकक्ष					
		i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i			
		ii	हाथ में चेक और ड्राफ्ट	ii			
		iii	हाथ में पैसा	iii			
		iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv			
		v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III	
	IV	उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष					IV
V	उधार						
	i	सुरक्षा निक्षेप	i				
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii				
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii				
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V		
	v	जो उपरोक्त V में शामिल उधार और अग्रिम हैं-					
	क	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक				
	ख	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं	vख				
	ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग				
VI	अन्य वित्तीय आस्तियां					VI	
कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)						2ख	
ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)					2ग	
घ	अन्य मौजूदा आस्तियां						
	i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम	i				
	ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii				
	iii	कुल			2घ		
कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)							2
कुल आस्तियां (1 + 2)						II	

भाग क-

विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन				
	क प्रारम्भिक तालिका				
	i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i		
	ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
	iii	योग (i + ii)		कiii	
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)		ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी		ग	
	घ	प्रत्यक्ष कर (घा + घii + घiii)		घ	
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ड	कारखाना अधिव्यय			
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
	ii	कारखाना किराया और दर	ii		
	iii	कारखाना बीमा	iii		
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
	v	कारखाना साधारण व्यय	v		
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		डvii	
	च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+डvii)		1च	
2	अंत स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
	योग (2i + 2ii)				2
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)				3

भाग क – व्यापार लेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व					
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					
	i	माल का विक्रय	i				
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii				
	iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	क		iii क				
	ख		iii ख				
	ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग				
	iv	योग (i + ii + iii ग)			कiv		
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां				ख	
व्यापार लेखा में आकलन	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर					
	i	संघ उत्पाद कर	i				
	ii	सेवा कर	ii				
	iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii				
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv				
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v				
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi				
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii				
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii				
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गix		
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)				4घ	
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5	
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5)				6	
व्यापार लेखा में आकलन	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक				7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9	
	i	आवक वहन व्यय	i				
	ii	विद्युत और ईंधन	ii				
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii				
	10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदेय या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा शुल्क	10i				
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii				

	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत				11
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)				12
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त				12क
12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित				12ख

भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ 12 + 12ख				13	
14	अन्य आय					
	i	किराया	i			
	ii	कमीशन	ii			
	iii	लाभांश आय	iii			
	iv	व्याज आय	iv			
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			

	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)		ix		
	x	कृषि आय		x		
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		xiक		
		ख		xiख		
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)				14xii
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)				15
	16	जावक भाड़ा				16
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग				17
लाभ और हानि खाते में विकलन	18	विद्युत और ईंधन				18
	19	किराया				19
	20	भवन की मरम्मत				20
	21	मशीनरी की मरम्मत				21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi
	xii	क्या अनिवारियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं		

		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख				
23	बीमा						
	i	चिकित्सीय बीमा	23i				
	ii	जीवन बीमा	23ii				
	iii	की-मैन बीमा	23iii				
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv				
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v		
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय					24	
25	मनोरंजन					25	
26	आतिथ्य					26	
27	सम्मेलन					27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है					28	
29	विज्ञापन					29	
30	कमीशन						
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i				
	ii	अन्य को	ii				
	iii	योग (i + ii)			30iii		
31	स्वामिस्व						
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i				
	ii	अन्य को	ii				
	iii	योग (i + ii)			31iii		
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस						
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i				
	ii	अन्य को	ii				
	iii	योग (i + ii)					
33	होटल, बोर्डिंग, आवास					33	

34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय	34	
35	विदेशी यात्रा व्यय	35	
36	प्रवहण व्यय	36	
37	टेलीफोन व्यय	37	
38	अतिथि गृह व्यय	38	
39	क्लब व्यय	39	
40	उत्सव समारोह व्यय	40	
41	छात्रवृत्ति	41	
42	उपहार	42	
43	दान	43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	i संघ उत्पाद शुल्क	44i	
	ii सेवा कर	44ii	
	iii मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii	
	iv उपकर	44iv	
	v केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v	
	vi राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi	
	vii एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii	
	viii संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii	
	ix कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix	
	x संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x	
45	संपरीक्षा फीस	45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i	i	
	ii	ii	
	iii योग (i + ii)	46iii	
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	(i1)	47i (1)	

	(i2)												47i (2)			
	(i3)												47i (3)			
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है											47i			
		कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))														
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)											47ii			
	क्र.सं.	नाम	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	सड़क / मार्ग/ डाक घर	क्षेत्र/ अवस्थान	करबा/ शहर/ जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जिप कोड	रकम				
	1															
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है														
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)						47iii								
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)											47iv			
	48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध											48			
	49	अन्य उपबंध											49			
50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50				
51	ब्याज															
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त						i								
	ii	अन्य को						ii								
	iii	योग (i + ii)														
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण											52				
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)											53				
कर और विनियोग के लिए दिए गए उपबंध	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध											54			
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध											55			
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)											56			
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष											57			
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)											58			
	विनियोग															
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण						59i								

	ii	प्रस्तावित लाभान्श/अन्तरिम लाभान्श	59ii		
	iii	लाभान्श पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभान्श पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)				60
61	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना				
	क्र. सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन	

		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारिती के स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो		
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	(क)							
	(ख)							
		कुल						
	यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
	(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]					61(ii)	
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है							
लेखाहित मामला	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें						
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त					62क	
	ख	शुद्ध लाभ					62ख	

भाग क - विनिर्माण लेखा
भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन					
	क	आरम्भिक तालिक				
		i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i		
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii		
		iii	योग (i + ii)		कiii	
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ	
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ङ	कारखाना उपरिव्यय				
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी			
ii		कारखाना किराया और दर				
iii		कारखाना बीमा				
iv		कारखाना ईंधन और विद्युत				
v		कारखाना साधारण व्यय				
vi		कारखाना मशीनरी का अवक्षयण				
	Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ङvii		
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii)			1च		
2	अन्त स्टॉक					
	i	कच्ची सामग्री	2i			
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii			
	योग (2i +2ii)		2			
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3	

**भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से राजस्व						
	क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)						
		i	माल का विक्रय	i				
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii				
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क		iii क				
			ख		iii ख			
			ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग			
		iv	योग (i + ii + iii ग)			कiv		
		ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख		
		ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर					
	i		संघ उत्पाद शुल्क	i				
	ii		सेवा कर	ii				
	iii		मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii				
	iv		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv				
	v		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v				
	vi		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi				
	vii		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii				
	viii		कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii				
	ix		योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix		
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)			4घ			
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5			
6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5)				6			
व्यापार लेखा में देय	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक				7		
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				8		

9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
	10 क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत			11	
12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)			12	
12क	दिन भर व्यापार से आवर्त			12क	
12ख	दिन भर व्यापार से आय-लाभ व हानि लेख में अंतरित			12ख	

भाग क – लाभ और हानि भारतीय लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेख में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)				13	
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	व्याज आय	iv			

लाभ और हानि खाता में देय		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ		v				
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ		vi				
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ		vii				
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)		viii				
		ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)		ix				
		x	कृषि आय		x				
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
			क		xiक				
			ख		xiख				
			ग	योग (xiक + xiख)	xiग				
		xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)					14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)					15		
	16	जावक भाड़ा					16		
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग					17		
	18	विद्युत और ईंधन					18		
	19	किराया					19		
	20	भवन की मरम्मत					20		
	21	मशीनरी की मरम्मत					21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर							
		i	वेतन और मजदूरी		22i				
		ii	बोनस		22ii				
		iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति		22iii				
		iv	छुट्टी नकदीकरण		22iv				
		v	छुट्टी यात्रा फायदे		22v				
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय		22vi				
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय		22vii				
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय		22viii				
		ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय		22ix				
x		कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है		22x					
xi		कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)						22xi	
xii		क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है		xiiक	हां / नहीं				
	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम		xiiख						
23	बीमा								
	i	चिकित्सीय बीमा		23i					
	ii	जीवन बीमा		23ii					
	iii	की-मैन बीमा		23iii					
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं		23iv					
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)					23v		
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय					24			
25	मनोरंजन					25			
26	आतिथ्य					26			
27	सम्मेलन					27			
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है					28			

29	विज्ञापन	29	
30	कमीशन		
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i
	ii	अन्य को	ii
	iii	योग (i + ii)	30iii
31	स्वामित्व		
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i
	ii	अन्य को	ii
	iii	योग (i + ii)	31iii
32	व्यवसायिक/परामर्श फीस/ तकनीकी सेवाओं के लिए फीस		
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i
	ii	अन्य को	ii
	iii	योग (i + ii)	32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास		33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय		34
35	विदेशी यात्रा व्यय		35
36	प्रवहण व्यय		36
37	टेलीफोन व्यय		37
38	अतिथि गृह व्यय		38
39	क्लब व्यय		39
40	उत्सव समारोह व्यय		40
41	छात्रवृत्ति		41
42	उपहार		42
43	दान		43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)		
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i
	ii	सेवा कर	44ii
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii
	iv	उपकर	44iv
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x
45	संपरीक्षा फीस		45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i		i
	ii		ii
	iii	योग (i + ii)	46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	(i1)		47i (1)

	(i2)												47i (2)		
	(i3)												47i (3)		
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)										47i			
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)										47ii			
	क्र.सं.	नाम	फ्लैट/ द्वार/ ब्लॉक सं०	परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम	सड़क / मार्ग/ डाक घर	क्षेत्र/ अवस्थान	कस्बा/ शहर/ जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जिप कोड	रकम			
	1														
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है													
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)										47iii			
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)											47iv		
	48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध											48		
	49	अन्य उपबंध											49		
	50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50		
	51	ब्याज													
कर और विनियोग के लिए उपबंध	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त							i						
	ii	अन्य को							ii						
	iii	योग (i + ii)											51iii		
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण											52		
	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)											53		
	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध											54		
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध											55		
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)											56		
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष											57		
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)											58		
	59	विनियोग													
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण							59i						
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश							59ii						
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर							59iii						
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)							59iv						
	v	कोई अन्य विनियोग							59v						
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)							59vi						
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)											60		
	61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी													
	i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन							i						
	ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन							ii						
	iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें							iii						
	iv	एफबीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन							iv						

		v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
		vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
		vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
		viii	योग			
	ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				61क
		i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
		ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखते	ii		
		iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		
		iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
		v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
		vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
		vii	योग			
						61ख
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)					62

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो आज्ञापक, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति नकद	(चिह्नित करें) ☒ ☐ वाणिज्य ☐
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं	
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
	ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क

ख	प्रोफार्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख	
ग	पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
च	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें		
क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) (i ख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) (iii)]	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1) (xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अनुज्ञेय	6द	

	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)			6ध	
	न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)				
	i	भारत में अभिनियोजित	i			
	ii	भारत के बाहर अभिनियोजित	ii			
	iii	कुल	iii			
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें					
	क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क			
	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख			
	ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग			
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ			
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ			
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च			
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है	7छ			
	ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज			
	झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ			
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ			
	ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग)			7	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख			
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग			
	घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ			
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ			
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच			
	छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ			
	ज	व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)]/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज			
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ			
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)			8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें					
	क	धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क			
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग पाने वाले के खाते में देय बैंक अथवा पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख			

	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अनुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)	9च		
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ती के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्त्तिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग)	10झ		
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्त्तिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		

12	ज	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सुक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	11झ		
	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ		
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14 के अधीन अनुज्ञात व्यय की रकम				16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं)				17
	☒ हां ☐ नहीं				
[यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]					

भाग क - मात्रात्मक
ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो आज्ञापक)

मात्रात्मक ब्यौरे

(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक	1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4	अंतिम स्टाक	4	
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल		
		क	आरंभिक स्टाक	6 क
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ
		ङ	अंतिम स्टाक	6 ङ
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ
	ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
	क	आरंभिक स्टाक	7 क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	

	घ पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ	
	ङ अंतिम स्टॉक	7 ङ	
	च कमी/अधिक्य यदि कोई हो	7 च	

भाग क— ओ एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी की प्राप्ति और संदाय लेखा

1	आरम्भिक अतिशेष			
	i हाथ नकदी	1i		
	ii बैंक	1ii		
	iii कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii		
2	प्राप्तियाँ			
	i ब्याज	2i		
	ii लाभांश	2ii		
	iii अस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	2iii क		
	ख	2iii ख		
	ग	2iii ग		
	घ कुल (iii क + iii ख + iii ग)	2iii घ		
	iv देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूँजीगत/प्रकृति एवं राशि)			
	क	2v क		
	ख	2v ख		
	ग कुल अन्य प्राप्तियाँ (v क + v ख)	2v ग		
	vi कुल प्राप्तियाँ (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi		
3	कुल आरम्भिक अतिशेष और प्राप्तियाँ		3	
4	संदाय			
	i प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		
	iv कमीशन	4iv		
	v अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
	क	4v क		
	ख	4v ख		
	ग अन्य संदायों का योग (4v क + 4v ख)	4v ग		
	vi कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi		
5	अंत अतिशेष			
	i हाथ नकदी	5i		
	ii बैंक	5ii		
	iii कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii		
6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरे)

अनुसूची एच पी

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राफ्ट डाउन का उपबंधित करें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)				
	संपत्ति में निर्वहण अंश की प्रतिशतता %				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं.	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)		
I					
II					

लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
(सही का निशान लगाएं) ☒			
☐ यदि किराए पर हो	I		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	II		

क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य	1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)	1ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च	
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट	
	(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरा भरें।)		
2	आय/हानि के माध्यम से पास, यदि कोई हो*	2	
3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2अ का अंक लें)	3	

टिप्पण ▶

यदि धारा 194अख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

यदि धारा 194-अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

अनुसूची - बीपी

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख) (भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53)			1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रवि-ट करें)	2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)	2ख			
3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क गृह संपत्ति	3क		
		ख पूंजी अभिलाभ	3ख		
		ग अन्य स्रोत	3ग		
		गा लाभार्थ आय	3गा		
		गाii लाभार्थ आय से भिन्न	3गाii		
		घ 115खखच के	3घ		
		ङ 115खखछ के अधीन अधीन	3ङ		
		च धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत (यदि कोई)	3च		
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)	4क			
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख			
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)	4ग			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क		
	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख		
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		गा		
	ii		गाii		
	iii	कुल (गा + गाii)	5गाiii		
	घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गाiii)	5घ		
6	अतिशेष (1-2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 3च - 4- 5घ)			6	
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क गृह संपत्ति	7क		
		ख पूंजी अभिलाभ	7ख		
		ग अन्य स्रोत	7ग		
		घ 115खखच के अधीन	7घ		
		ङ 115खखछ के अधीन अधीन	7ङ		
		च धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त (यदि कोई हो)	7च		

8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-ओआई का 16) के अधीन अननुज्ञेय हैं	8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)	9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण	11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i धारा 32(1) ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i		
	ii धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशि-ट 1 को निर्दि-ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii		
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii		
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13		
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 6 ध)	14		
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 7ट)	15		
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 8कज)	16		
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 9 च)	17		
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क- ओआई का 11झ)	18		
19	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद	23		
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से आय जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित आय)	24		

25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची 25 क- ओआइ का 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	28	
29	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची 29 एसआर का मद 4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओआइ का 8ख)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क- ओआइ का 10झ)	31	
32	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	32	
33	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची 33)	33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34	
35	आय (13+26-34)	35	
36	कारबार या वृत्ति के लाभ या हानि निम्नलिखित के अधीन समझी जाएगी -		
	i धारा 44कड (अनुसूची लाभ और हानि की)	36i	
	ii धारा 44ख	36ii	
	iii धारा 44खख	36iii	
	iv धारा 44खखक	36iv	
	v धारा 44खखख	36v	
	vi धारा 44घ	36vi	
	vii धारा 44घक	36vii	(प्ररूप 3 ग.ड की मद 4)
	viii अध्याय-XII-छ (सकल भार)	36viii	(प्ररूप 6 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल)
	ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	36ix	
	x कुल (36i से 36ix)	36x	
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (36 + 36भ)	37	
38	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 यदि लागू हों, लागू करने के पश्चात् सट्टे के कारबार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रविट करें (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ड + 38च)	अ38	
	क नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38क	
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख	
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग	
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ	
	ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ड	
	च नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च	
39	वित्त अधिनियम [4ग -(38क+38ख+38ग+38घ+38ड)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष	39	

आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना					
	40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40		
	41	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	41		
	42	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां	42		
	43	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (40+ 41 - 42) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल का अंक	आ		
इ	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	44		
	45	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार परिवर्धन			
	46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा (i) 35कघ (i i)32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	46		
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)	47		
	48	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां	48		
	49	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 – 48) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीएफएल का अंक	इ49		
	50	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (डॉप डाउन मेन्स से चयन करने के लिए)	इ50		
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ38+आ43+ इ49)		ई		
उ	चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा				
	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क38)	
	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)		
	iv	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	v	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
	vi	मुजरा पश्चात् हानि (i – v)			

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
2	दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची डीओए: अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1 आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	शून्य	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							

4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 14 के बाहर)							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)	
आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी	
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है)	1क
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है)	1ख
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है)	1ग
	घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा लागू हो)	1घ
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ड
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)	
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है)	2क
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है)	2ख
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है)	2ग
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)	3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)	4
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)	5
	6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)	6

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग		
घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ		
ड	कुल (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ड		
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iii)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)		3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)		4	
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)		5	
6	कुल (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

अनुसूची - इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या धारा 35 गगग या धारा 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक कटौती की रकम (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2कक)			
vii	35(2कख)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार व्यौर दें			

अनुसूची-सीजी		पूँजी अभिलाम											
क	लघु अवधि पूँजी अभिलाम	लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उपमद 4 और उपमद5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)											
		1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)/सह-स्वामित्व की दशा में अपने पूँजी अभिलाम अंश प्रविष्ट करें										
			क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का				
					क्रय/अर्जन की तारीख	दिदि/मामा/वव	विक्रय अंतरण की तारीख	दिदि/मामा/वव					
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii			
			iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (काi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (काi) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें]						काiii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
				iii	पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii				
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv				
			ग	अतिशेष काiii – ख iv)						1 ग			
			घ	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ			
			ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)								क 1 ङ	
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)									
			क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य			
	लघु अवधि पूँजी अभिलाम	टिप्पण ► यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें											
		2	स्लम्प बिक्री से										
			क	i	नियम 11प.क.ङ(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2का				
				ii	नियम 11प.क.ङ(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2काii				
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)				2काiii				
			ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख					
			ग	स्लम्प की बिक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाम (2काiii - 2 ख)						क 2 ग			
		3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है										
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य						3 क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
				iii	पूर्णतया या अनन्यतः के अंतरण से संबंधित व्यय				ग iii				
				iv	योग(i + ii + iii)				ख iv				
			ग	शे-3 (क – ख iv)						3 ग			
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्थ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)						3 घ					
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ग +3 घ)								क 3 ङ			
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभार्थों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)												
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है						क 4 क					
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है						क 4 ख					
5	अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)												
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-										
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।				i क						
		ख	विहित सौति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य				i ख						
		ग	पूँजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)				i ग						
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य						काii					

		II																	
		क		डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी दावाकृत प्रभाय कर की कुल राशि												क9क			
		ख		डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर दावाकृत कर से प्रभाय एसटीसीजी की कुल रकम												क9ख			
		10		कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6छ+ क7 + क 8 - क9क)												क 10			
		ख		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद, 6, 7 और 8 लागू नहीं हैं)															
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ		1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)															
		क		i		प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य						कां							
				ii		स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारों के अनुसार संपत्ति का मूल्य						कांii							
				iii		पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें)						कांiii							
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां															
				i		अर्जन की लागत						ख i							
				ii		सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत						ख i क							
				iiख		सूचीकरण के साथ सुधार की लागत						ख iiख							
						(क) सुधार की लागत													
						(ख) सुधार का वर्ष													
						(ग) सूचीकरण के साथ सुधार की लागत													
						पंक्ति जोड़ें													
				iii		पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय						ख iii							
				iv		योग (ख i + ख ii + ख iii)						ख iv							
		ग		शे-1 (क iii – ख iv)												1 ग			
		घ		धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)												1 घ			
		ङ		स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)												ख 1 ङ			
		च		अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)															
		क्र. सं.		क्रेता(क्रेताओं) के नाम		क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.		शेयर प्रतिशत		रकम		संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड		पिन कोड		राज्य			
		टिप्पण ►		यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं.देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।															

2	स्लम्य विक्री से						
	क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कां			
		ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii			
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2काiii			
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख		
	ग	शेन (2कiii – 2 ख)			2 ग		
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती			2 घ		
	ड	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (2 ग-2 घ)				ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)						
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय		ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)		ख iv		
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (3क – 3 ख iv)				ख 3 ग	
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य रूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।						
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय		ख iii		

		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम ख 4 (4क - 4 ख iv)		ख 4 ग
5		किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई में जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
		उपरोक्त ख 5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाम (अनुसूची 112क का कॉलम 14)		ख 5
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)		
		सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाम		ख 6
7		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख 8 मरा जाएगा)		
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क	
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूंजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
		iii कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (क iii - ख iv)		ख 7 ग

8		अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
		उपरोक्त ख 8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाम (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का कॉलम 14	ख 8	

9		आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं		
---	--	--	--	--

	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
--	---	--	--	--

		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा		
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
		ग	पूंजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शे-9 (क iii - ख iv)		9 ग	
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		9 घ	
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (9ग - 9घ)			ख 9
10		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम समझी गई राशि			
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाम की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाम खाता स्कीम में जमा किया गया है?			
		☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			

क्रम सं.	पूर्व वा में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वा में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि		
i	2020-21	54घ/54छ/54छक				
ii	2021-22	54घ/54छ/54छक				
iii	2022-23	54घ/54छ/54छक				
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (Xi+Xii+Xiii+ख)					ख10
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)					ख1
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास			ख11क1	
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास			ख11क2	
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास श्रू आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य			ख 11ख	
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)					

क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डीटीए के अधीन दावाकृत एलटीसीजी कर प्रभार्य नहीं है की कुल राशि								ख12क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत विशेष दर पर कर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि								ख12ख

13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)								ख 13
ग1	पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की पूंजीगत लाभ राशि (क10+ ख13) (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें)								ग1
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)								ग2
ग3	“पूंजीगत लाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1+ग2)								ग3
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी								
1	धारा 54घ / धारा 54छ/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें ।								

क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख		क i	दिन/मास/वर्ष
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत		क ii	
iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख		क iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि		क iv	
ivक	जमा करने की तारीख		ivख खाता सं.	ivग आई एफ एस कोड
v	दावाकृत कटौती की राशि		क v	
ख	धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख		ख i	दिन/मास/वर्ष
ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा		ख ii	

			iii	निवेश की तारीख		ख iii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	दावाकृत कटौती की राशि		ख iv		
	ग	घारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती						
		i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख			ग i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत			ग ii		
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख			ग iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि			ग iv		
		ivक	जमा करने की तारीख		ivख खाता सं.		ivग आई एफ एस कोड	
		v	दावाकृत कटौती की राशि			ग v		
	घ	घारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती						
		i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख			घ i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत			घ ii		
		iii	एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख			घ iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि			घ iv		
		ivक	जमा करने की तारीख		ivख खाता सं.		ivग आई एफ एस कोड	
		v	दावाकृत कटौती की राशि			घ v		
	ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)				1 ड		

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत प्रभाय नहीं है)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4		5	6		7
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड*+ *	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख	
ii	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							
iii		30%	अ5ड*+ अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)							

v		डीटीएए दर	अ9ख*							
vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)							
vii		20%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)							
viii		डीटीएए दर दर	आ12ख							
ix	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजराई के बाद शे-ग हानि (i – ix)									
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।										
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।										
चपूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के वि-य में सूचना										

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15% की दर से प्रभाय अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभाय अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो y.					
3	लागू दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					

4	डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद <i>six</i> से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद <i>5x</i> से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद <i>5xi</i> से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद <i>5xii</i> से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूँजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 15ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

[illegible]

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)			एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट की विक्री से जितना धारा 112 क के अन्तर्गत एमटीटी अदा किया गया है।											
क्र.सं.	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएस आईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर यूनिटों की संख्या	विक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य :- यदि शेयर 31.01.2018वा उमसे पहले अर्जित किए गए हैं। (ल विक्री मूल्यकु) (4*5) यदि शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रतिष्ठ करें।	इंडेक्सेशन के विना अधिग्रहण की लागत अथवा 8 तरका उच्च 9	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति -2-01 से पूर्व 2018 अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी को उचित 2018 बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 2 56 क के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 10 से	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा वशिष्टकर व्यव	कुल कटौतियां 3 7	शेप(6-13)- आईटम्स 8 का एलटीसीजी शेड्यूल का आईटीआर 6
(कॉलम 1)	(कॉलम 1BEE)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: प्रत्येक संव्यवहार का ब्यौरा भारा जाए जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार है।)				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूँजी अभिलाभ का प्रकार अल्पकालिक/ (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आमहानि के मामले में) (शून्य दर्ज करें स्तंभ 6)– स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क. कुल(स्तंभ 7 में कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी जी का मद संसी . 2)
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूँजी अभिलाभ की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						

अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)					1	
	क	लाभांश, सकल				1क	
	i	(ii) के अतिरिक्त लाभांश आय				का	
		धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय				काii	
	ख	व्याज, सकल (खां + खाii + खाiii + खाiv + खv)				1ख	
	i	वचत बैंक खाता			खां		
		जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)			खाii		
आय कर प्रतिदाय से			खाiii				
आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में			खाiv				

v अन्य		खV		
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
घ	धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घii + घiii + घiv + घv)		1घ	
I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi		
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii		
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
1ड	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें			
	क्रम सं	प्रकृति	राशि	
	1	धारा 56(2)(xii) में निर्दिष्ट अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान इकाई धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट राशि।	1	
	लाइन जोड़े			
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2कi + 2 कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड क्रम सं से 1)			2
कi	लाटरी वर्ग पहेली दौड़, कार्ड गेम इत्यादि की जीत के रूप में आय धारा 115ख		2कi	
कii	धारा 115ख के अधीन आनलाईन गेम जीतने के माध्यम से प्रभाय आय		2कii	
ख	धारा 115ख के अधीन प्रभाय आय (ख + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	विशेष दर पर प्रभाय कोई आय (ग i से गxiii का कुल योग)		2ग	
i	धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक से भिन्न, धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग i		
ik	धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक के अधीन प्रभाय धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई से अनिवासी (गैर कंपनी) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ik		
ii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	ग ii		
iii	धारा 115 क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभाय अवसरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii		
iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv		
v	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) के परंतुक @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v		
vi	धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभाय धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi		
vii	धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभाय धारा 194 ठखक में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	ग vii		
viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	ग viii		
ix	धारा 115क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्यान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय	ग ix		
x	धारा 115 कग के अधीन प्रभाय अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बाँण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग x		

[illegible]

5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						5	
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद – 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें)						6	
7	अन्य स्रोतों से आय (वौड के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	धुड दौड के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय ।							
क	प्राप्तियां	8क						
ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख						
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग						
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ						
ङ	अतिशो (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 11xvii के अंक प्रविटि करे)						8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से आय की प्रोद्भन/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक		
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियों दौड, खेलों, घुत,शर्तों इत्यादि से जीती हुई राशि							
2	धारा 115खखज के अधीन जीती हुई राशि के रूप में आय							
3	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय							
4	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)							
5	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% दर से लाभांश (पी टी आई आय शामिल)							
6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय							
7	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन किसी एफआईआई द्वारा 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)							

8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						
9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का स्रोत	चालू वा की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वा की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वा की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वा के लिए मुजराई की गई हानि (टोड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वा की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकड़े नकारात्मक हों तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एच.पी का 3)	(अनुसूची बी.पी की मद च का 2)	(अनुसूची ओ.एस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच.पी का 3)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची बी.पी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3)				
v	सट्टे से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 iii)				
ix	लाभ दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 viii)				

चालू वर्ष हानि समायोजन

xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओ.एस की मद 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओ.एस की मद 8इ)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओ.एस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची-बीएफएलए

पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	विजनेस (बीमा विजनेस सट्टा विजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट विजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण : मुजरा की गई अग्रणीत हानि धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)	(टिप्पण : मुजरा की गई अग्रणीत अवक्षयण धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)		
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			

अग्रणीत हानि समायोजन

xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिव अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiv)			
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)		
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xvi)			
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि				
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)			

**अनुसूची-
सीएफएल**

भावी के व-र्गों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

[illegible]

xv	पूर्ववर्ग की हानियों का योग ख/ च									
xvi	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xii)
Xvii	2024-25 चालू वर्ष की हानियाँ	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीएफ का ख43, यदि -vड)	(अनुसूची बीएफ का ग49, यदि -vड)	अनुसूची बीपी का 4ख (यदि -vड)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 24+34+44)	अनुसूची सीजी की मद ड का (64+74)		(अनुसूची ओएस का 8ड यदि -vड)
xviii	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू)									
xix	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xvii-xviii)									
xx	भावी वर्गों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xv - xvi + xix)									

अनुसूची -अनामेित अवक्षयण

धारा 35(4) के अधीन अनामेित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ग	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ग की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ग के लिए अग्रणीत शे-1 रकम	अग्रणीत अनामेित भत्ते की रकम	चालू वर्ग की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ग के लिए अग्रणीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ग						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि (रु.)	लाभ में कमी (रु.)	शुद्ध प्रभाव (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i	लेखा नीति			

II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आई सी डी एस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

सूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्र० सं०	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र० सं०	रकम
	क	उपक्रम सं० 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं० 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)			

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम

			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान
	i					
	ii					
	iii कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	संदान की रकम	
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान
	i					
	ii					
	iii कुल					
ङ	कुल संदान (का + खा + गा + घा)					

अनुसूची 80छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अध्वन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80		राजनैतिक दलों को किए अभिदाय के व्यौरे				
क्र.सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय की पात्र रकम	यू पी आई अंतरण की संव्यवहार संदर्भ संख्या या बैंक आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस
		नकद में अभिदाय	अन्य रीति में अभिदाय	कुल अभिदाय		बैंक का आईएफसी कोड
I						
	(पंक्तियां जोड़े)					
	कुल अभिदाय					

अनुसूची 80		पात्र स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती(केवल तब भरा जाए यदि क19(थ) का उत्तर हां है)			
क्र.सं.	स्टार्ट-अप के निगमन की तारीख	कारबार की प्रकृति	अंतर-मंत्रालय प्रमाणीकरण बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहली ए वाई जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू ए वाई के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 80क		अपतट बैंककारी ईकाईयों या आईएफएससी के संबंध में कटौती					
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया गया है।							
क्र.सं.	ईकाई का प्रकार	ईकाई की आय का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	पहली ए वाई जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू ए वाई के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(पंक्तियां जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाए)							
कुल							

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के व्यौरे [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	योग					

अनुसूची-80अक

धारा 80अक के अधीन कटौतियां

धारा 80अक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80-अक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-अक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घ	धारा 80-अक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)				घ

अनुसूची-80 अख

धारा 80-अख के अधीन कटौती

	क	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80अख(9)]	क 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80अख(10)]	ख 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80अख(11क)]	ग 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ग 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80अख(11क)]	घ 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ङ	धारा 80अख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग)				ङ

अनुसूची-80-अग या 80-अङ

धारा 80-अग या धारा 80अङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-अग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)

ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
					ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती						
घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
		घछ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)			
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)				घज		
ङ	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)				ङ		

अनुसूची-VI- क अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती					
क	80छ		ख	80छछख		
ग	80छछक		घ	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)					1	
2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती					
ङ	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख		
छ	80झकग	(अनुसूची 80झकग का 7)	ज	80झख (अनुसूची 80झख का ड)		
झ	80झखक		ञ	80झग/ झड. (अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.)		
ट	80जक		ठ	80जकक (प्ररूप 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(अिव) +5II		
ड	80ठक(1)	(अनुसूची 80 ठक का 9)	ढ	80ठक(1क) (अनुसूची 80 ठक का 9)		
ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभार्थ वितरण का विवरण		त	80तक		
भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)						
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)				3	

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभावी आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

विशेष दर	क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
----------	--------	--------------	---	--------------	--------	-------------

1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(iii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(iii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनिटों की विक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	□	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग x)	
13ख	धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क)	
15	115खखख (ऑनलाइन खेलों से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कख)	
16	115खखख (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
17	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
18	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xix)	
19	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii)	
20	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 3ङ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii)	
21	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ङ का भाग)	
22	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi का भाग)	
23	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	
24	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
25	20 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
26	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
27	विशेष दरों से प्रभाय अन्य स्रोतों की प्रकृति की पास थू आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
28	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग x)	
29	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैरा ड. II	□	50	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xix)	
30	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभाय होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ग का भाग)	
			योग		

अनुसूची झ.च अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है							
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैन	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92ड लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष
							I	ii
1								
2								
3								
4		कुल						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है।)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय				1	
	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)		i			
	ii	कृषि पर उपगत व्यय		ii			
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि		iii			
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 39 से)		iv			
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)				2	
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख रु. से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरें दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरा दीजिए)					
		क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है				
		ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम				
		ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते है या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)				
	घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)					
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ)				3	

	क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10 (23चग) या 10(23चगक) या 10(23चख) या 10(23चच) या 10(4घ) के अधीन आय (कृपया प्ररूप दाखिल करने की तारीख तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के अधीन दावा किया गया है।) के अधीन ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।					3क				
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।					3ख				
4	डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है										
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)				
	I										
	II										
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभार्य नहीं है							4		
5	पास शु आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है (अनुसूची पीटीआई)									5	
6	योग (1+2+3 +3 +4+5)									6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में निवेशित	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती यदि कोई हो
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ट्राप डाउन प्रदान किया जाएगा)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि			
						का	धारा 111क			
						कii	अन्य			
						ख	दीर्घकालिक अवधि			
						खा	धारा 112			
						खii	धारा 112A			
					iii	अन्य खोत				

					क	लाभान्श				
					ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धाराके अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
2.				i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				कii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खii	धारा 112क से भिन्न					
				iii	अन्य स्रोत					
				क	लाभान्श					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धाराके अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
टिप्पण▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।								

अनुसूची एमएटी

धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

न्यूनतम वैकल्पिक रूप	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)			☐		
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)			☐		
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)			☐		
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रवि-ट करें)/(भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4				
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)					
	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)				5क	
	ख	आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)				5ख	
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध				5ग	
	घ	समनुगंभी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध				5घ	
	ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश				5ङ	
	च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)				5च	
	छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं				5छ	
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय				5ज	
	झ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि				5झ	
	ञ	115अखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बावत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय				5ञ	
	ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण				5ट	
	ठ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ				5ठ	
	ड	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)				5ड	
ढ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड)	5ढ					
6	कटौतियां						

	क	आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
	घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ		
	ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रित की गई हानि या गैर अमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो ।	6झ		
	ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है ।	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+ 6ट)			6ठ
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ड – 6ठ)			7	

8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें।				☐ हां ☐ नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				
	क	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क		
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख		
	ग	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग		
	घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ		

	ड	कुल जोड (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ड	
		ख. धारा 115ख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती		
	च	शीर्ष वे मदे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
	छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
	ज	धारा 115ख(2ग)में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
	झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
	ञ	कुल जोड (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9		धारा 115ख (7 + 8ड - 8ज) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
	क	धारा 115ख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क	
	ख	धारा 115ख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अतिरिक्त समायोजित कुल आय	9ख	
10		धारा 115झख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115ख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)					1
2	निर्धारण वर्ष 2024-25 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)					2
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]					3
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2009-10					

	ii	2010-11					
	iii	2011-12					
	iv	2012-13					
	v	2013-14					
	vi	2014-15					
	vii	2015-16					
	viii	2016-17					
	ix	2017-18					
	x	2018-19					
	xi	2019-20					
	xii	2020-21					
	xiii	2021-22					
	xiv	2022-23					
	xv	2023-24					
	xvi	2024-25 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
	xvii	योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई घास 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रवि-ट करें]						5
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xvi प्रवि-ट करें]						6

अनुसूची-वीवीएस

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

क्रम	विवरण	पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे
		(iii)	(iv)	(v)
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख	(दिन/मास/ वर्ष)	(दिन/मास/ वर्ष)	(दिन/मास/ वर्ष)
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम			

3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम						
4	कंपनी की वितरित आय (2-3)						
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क				
		ख	क पर अधिभार				
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर				
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)				
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज						
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+6)						
8	संदत्त कर और ब्याज						
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)						
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें			तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
				(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम						
12	बीएसआर कोड						
13	चालान की क्रम संख्या						
14	जमा रकम						

अनुसूची टीपीएसए		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण						
अनुसूची के धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर					
		ख	क पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर					
		घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर					
	3	अदा किए गए कर						
	4	(2घ-3) देय निवल कर						
	5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
			(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)

		तारीख						
	6	बैंक तथा शाखा का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम सं.						
	9	जमा की राशि						

अनुसूची 115नघ

धारा 115 नघ के अधीन सहवर्धी आय

	1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सकल आस्ति का उचित बाजार मूल्य	1	
	2	घटाना: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का सकल दायित्व	2	
	3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
	4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से प्रत्यक्षता अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य (ii) निर्मिति या स्थापन की तारीख से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, यदि धारा 11 और धारा 12 के अधीन उक्त अवधि के दौरान फायदे का दावा नहीं किया गया है। (iii) धारा 115नघ(2) के तीसरे परंतुक अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का उचित बाजार	4i 4i i 4i i i	

		मूल्य					
		(iv)	कुल (4i+4i i+4i i i)		4iv		
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व				5		
6	धारा 115 नघ के अनुसार आय {3-(4iv-5)}				6		
7	अधिकतम मार्जिनल दर पर धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर				7		
8	धारा 115नघ के अधीन संदेय ब्याज				8		
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आय कर				9		
10	संदेय अतिरिक्त आयकर और ब्याज				10		
11	संदत्त कर और ब्याज				11		
12	शुद्ध संदाय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)				12		
13	आय पर जमा किए गए कर की तारीख		दिनांक 1 डीडी/एमएम/ वाईवाई		दिनांक 2 डीडी/एमएम/वाईवाई		दिनांक 3 डीडी/एमएम/वाईवाई
14	बैंक और ब्रांच का नाम						
15	बी एस आर कोड						
16	चालान का क्रम संख्यांक						
17	जमा की गई राशि						

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)

भारत के बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत	क्र. संदेश कोड (ई-फाईलिंग यूटिलिटी में ट्रापडाउन दिया जाएगा)	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीएए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है	
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाष					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					

अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दि-ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)
	योग				
2	देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)				2
3	देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)				3
4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण				4 हां/नहीं
	क	प्रतिदेय कर की रकम		ख	वह निर्धारित वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था

टिप्पण ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची
वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)											
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ2	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता		जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य		अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का कोड	जिप कोड	अस्तित्व की	अस्तित्व का नाम	ब्याज की प्रकृति-सीधे /	रखने की	कुल विनिधान	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		

नाम और कोड		प्रकृति	और पता	फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	तारीख से	(लागत पर) (रु. में)		प्रकृति	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
ग	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
घ	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्तिक के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
ङ	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।										
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।										

क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पणी ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1

असूचीबद्ध कम्पनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्राप्ति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

अनुसूची एसएच-2 स्टार्ट-अप की शेयर वृत्ति

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर वृत्ति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए संबंधित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन धनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

टिप्पण पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

अनुसूची ए.एल-1 वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी अस्वीकृत कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

आस्तियां और दायित्व के ब्यौरे	क	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे				
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाय)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(i)													
(ii)													
ख	घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)		प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)						
(i)													
ग	सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष			
	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
			शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												
	प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
			प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च	अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे												
	अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ/हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	अंत अतिशेष						
छ	किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सार्वजनिक कारबार नहीं है)												
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					
ज	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे												

	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
ञ	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची ए.एल-2

वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

	यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-						
क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे						
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)							
(ii)							
ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे						
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

(i)								
ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साह्यकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)							
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ	दायित्वों के ब्यौरे							

वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	विकलित ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

जीएसटी का ब्यौरा	क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)

टिप्पण ► कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

अनुसूची एफ.डी विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

करेंसीवार ब्यौरा	क्रम सं.		रकम (रुपये में)
	i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातों पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातों पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि		

	i	सट्टे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क 38) (शून्य प्रविट करें यदि हानि हो)	2i		
	ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(iii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़ा लें)	2iii		
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3घ, 3ङ, 3च और 4ख)	2iv		
	V	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)		2v	
3	पूँजी अभिलाभ				
	क	अल्पकालिक			
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	कां		
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii		
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	काiv		
	v	कुल अल्पकालिक (का + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करें)	3कv		
	ख	दीर्घकालिक			
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खां		
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खाii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खाiii		
	iv	कुल दीर्घकालिक (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करें)	3खाiv		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खाiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		3ग	
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		3घ	
	ङ	कुल पूँजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)		3ङ	
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय / अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट कर)	4क		
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख		

	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	4ग		
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)	4घ		
5		शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2v + 3ड + 4घ)	5		
6		5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)	6		
7		चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)	7		
8		7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)	8		
9		सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv) तक का योग + 4ख + 2iv)	9		
10		9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर	10		
11		अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची VIक का 1 तथा बीएफएलए के i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित]	11क		
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची VIक का 2)	11ख		
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)	11ग		
12		धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूचि 10कक)	12		
13		कुल आय (9- 11ग -12)	13		
14		विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग	14		
15		मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)	15		
16		शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)	16		
17		चालू वर्ग की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xix) का योग	17		
18		धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)	18		

भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना

1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
	ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
	ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
	घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	

2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क	
	ख	विशेष-1 दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख	
	ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग	
	घ	अधिभार		
	i	एस.आई अनुसूची 16 का 25%	2घा	
	ii	एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग)	2घाii	
	iii	कुल (i + ii)	2घाiii	
	ङ	(2ग+2घाiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ङ	
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घाiii +2ङ)	2च	
3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें)			3
4	पूर्ववर्त में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)			4
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]			5
6	कर अनुतो-1			
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क	
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख	
	ग	कुल (6क + 6ख)	6ग	
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करें)			7
8	संदेय ब्याज और फीस			

	क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च)	8घ		
	ङ	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8ङ		
	9	सकल दायित्व (7 + 8ङ)	9		
देय कर	10	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क		
	ख	टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख		
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग		
	घ	स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ		
	ङ	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)	10ङ		
	11	संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करे)	11		
	12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है)	12		
बैंक खाता	13	धारा 115नड. के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115नघ का क्रं.स. 12)	13		
	14	क्रं.स. 12(13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात् धारा 115नघ के अधीन संदेय कर	14		
	15	क्रं.स. 14(12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात् शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा)	15		
	16	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है			
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के व्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)			
	क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता का प्रकार (ई- फाईलिंग उपयोगिता द्वारा ट्राइपडाउन उपलब्ध कराया जायेगा)
	i				
ii					

	टिप्पणः 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी है। 2) कई खातों के मामले में, विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात् प्रतिदाय की विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा पंक्ति को आवश्यकतानुसार जोड़ा जा सकता है।				
	(ख) अनिवासी: अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं				
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.बी.ए.एन
	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है				
17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				☐ हां ☐ नहीं

18	अनुसूची-आयकर				
क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
	क्रं.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/व-ि)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
कर संदाय	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	v				
	vi				
टिप्पण--भाग ख-टीडीआई की क्रम सं0 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रवि-ट करें।					
ख	स्तोट पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ड के अनुसार]				

क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैना/ आधार सं.	अग्रेषित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान काटा गया टीडीएस		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।		तदनुरूपी रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई		अग्रेषित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय		
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)		अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)		सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैना/ आधार सं.		
i														

टिप्पण प्रूपया भाग ख टीडीआई के स्तम्भ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग											
स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]											
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संग्रहित टीसीएस)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी. एस जमा आगे लाया गया	
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा	स्वयं दावा किया गया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)		
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)	
i									टी.सी.एस	पैन	
ii											
टिप्पण: कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7i) का योग भरें											

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92 गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख..... स्थान यहाँ हस्ताक्षर करें” .

[अधिसूचना सं.16/2024/फा. सं. 370142/49/2023-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2023 द्वारा किया गया।